रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23072026-274679
CG-DL-W-23072026-274679

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, जुलाई 12—जुलाई 18, 2026, शनिवार/ आषाढ 21—आषाढ 27, 1948
No. 10] NEW DELHI, JULY 12—JULY 18, 2026, SATURDAY/ ASHADHA 21— ASHADHA 27, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.नि.आ. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सेना आर्डनेंस कोर, सिविलियन स्टाफ ऑफिसर (भंडार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय सेना आर्डनेंस कोर में सिविलियन स्टाफ ऑफिसर (भंडार) के पद पर पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डनेंस कोर, सिविलियन स्टाफ ऑफिसर (भंडार) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है.; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
सिविलियन स्टाफ ऑफिसर (भंडार)	*17 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
(8)
लागू नहीं होता।

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(9)
दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने के कारण प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रू) में ऐसे सामग्री प्रबंधक जो नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष से हो और मान्यता प्राप्त संस्थान या रक्षा मंत्रालय के महाविधालय या सेना आर्डनेंस कोर अथवा अपवाद की दशा में विभाग द्वारा यूनिट स्तर पर आयोजित की गयी है, तथा सुसंगत क्षेत्र में दों से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सामग्री प्रबंधक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रू) पोषक पदों पर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर (भंडार)के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा छ: वर्ष होगी। **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति / आमेलन** : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रू) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाच वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री ; और

(ii) तालिका प्रबंधन में पांच वर्षों का अनुभव, अधिमानत: रक्षा प्रतिष्ठानों में; वेयरहाउस प्रबंधन, लेखांकन तथा सरकारी भण्डारों के रखरखाव एवं संरक्षण।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।
(12)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : –
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;
2. महानिदेश, आर्डनेंस सेवा या अपर महानिदेशक आर्डनेंस सेवा (अल्फा) या अपर महानिदेशक आयुध सेवा (ब्रावो) - सदस्य;
3. संयुक्त सचिव (सेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य।
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : –
1. महानिदेश, आर्डनेंस सेवा - अध्यक्ष;
2. अपर महानिदेशक आर्डनेंस सेवा (अल्फा) या अपर महानिदेशक आयुध सेवा (ब्रावो) - सदस्य;
3. संयुक्त सचिव (सेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. पी सी. ए/24821/आर आर-एएमडीटी/सीएसओ (एस)/ओएस-8डी)/डी (नियुक्ति)/2026]

एम. पी. हरिनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2026

S.R.O. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps, Civilian Staff Officer (Stores) Group 'A' post Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Staff Officer (Stores) in the Army Ordnance Corps, Ministry of Defence, namely: **–**

1. Short title and commencement.**–** (1) These rules may be called the Army Ordnance Corps, Civilian Staff Officer (Stores), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person ,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backword Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Civilian Staff Officer (Stores).	17* (2026) * Subject to variation dependent or workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(4)	(5)
Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(10)
By promotion, failing which by deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Materials Manager in level-8 in the pay matrix (Rs 47600 - 151100) with eight years of regular in the grade and having successfully completed two to four weeks training in relevant area from the recognised institute or college of the Ministry of Defence or Army Ordnance Corps or in exceptional circumstances will be organised at Unit level. **Note 1** : The eligibility service for promotion shall continue to be six years for persons holding the feeder post that is, Material Manager in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided, they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/Absorption:** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration,– (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:– (i) Bachelor's degree in any stream from a recognised University or institute;

(ii) five years experience in inventory management preferably of the Defence installations, warehouse management, accounting and maintenance or preservation of the Government stores etc.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its compositions.
(12)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairman; 2. Director General Ordnance Service or Additional Director General Ordnance Service (Alfa) or Additional Director General Ordnance Service (Bravo) - Member; 3. Joint Secretary (Army), Ministry of Defence - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director General of Ordnance Service - Chairman; 2. Additional Director General Ordnance Service (Alfa) or Additional Director General Ordnance Service (Bravo) - Member; 3. Joint Secretary (Army), Ministry of Defence - Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on promotion.

[PC-A/24821/RR-Amdt/CSO(S)/OS-8D/D/(Apptts)/2026]

M. P. HARINARAYANAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.07.23 11:14:11 +05'30'